तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांक 46/1/2020–5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एंव संसदीय कार्य विभाग

दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

सेवा में

1. आयुक्त अम्बाला/गुरूग्रांम/हिसार/रोहतक/फरीदाबाद तथा करनाल मण्डल ।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
3. हरियाणा राज्य के सभी उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

विषयः– **'गणतंत्र दिवस' समारोह 2022 ।**

<<0>>

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास, जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी, गणतंत्र दिवस के इस अवसर को समुचित ढंग से मनाया जाए ।

2. हालांकि, कोविड–19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विभिन्न कार्यक्रमों या गतिविधियों का आयोजन करते समय, कुछ निवारक उपायों का पालन करना आवश्यक है जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, समुचित सेनेटाईजेशन रखना, उचित स्वच्छता, बडी सभाओं से बचना, कमजोर व्यक्तियों का बचाव करना तथा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी COVID-19 से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों और स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी) का पालन करना आदि । इसलिए, सभी कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि लोगों को बडी सभाओं से बचाया जा सके और प्रौद्योगिकी का उपयुक्त इस्तेमाल करके इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा सके । आयोजित कार्यक्रम बडे पैमाने पर उन लोगों, जो भाग लेने में सक्षम नही है तक पहुंचने के लिए वेब–कास्ट किये जा सकते है । इसके अतिरिक्त कोई पी0टी0 शो0 नही होगा । कमजोर व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन गतिविधियों से दूर रखा जाए । मार्च पास्ट में MHA व हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए COVID-19 से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन करें । इसके अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की भी पालना की जाए ।

3. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जिला पदाधिकारियों द्वारा उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया जाए ।

4. गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर महानुभावों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने बारे आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा ।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक 26 जनवरी, 2022 को 'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने बारे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से कोरोना महामारी COVID-19 के मध्यनजर अभी तक कोई भी दिशा–निर्देश प्राप्त नही हुये है, जैसे ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से 26 जनवरी, 2022 को 'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने बारे दिशा–निर्देश प्राप्त होगें उसकी प्रति आपको उचित कार्यवाही करने हेतू भेज दी जाएगी ।

भवदीय,

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक प्रति सलाहकार/प्रशासक, यू.टी. चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक प्रति गृह सचिव, यू.टी. चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक–एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों एवं पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक प्रति राज्यपाल, हरियाणा के सचिव को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक–एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक–एक प्रति मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव,/प्रधान विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर)/विशेष कार्य अधिकारी (सतीश कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल/राजनैतिक सलाहकार (कृष्ण कुमार बेदी)/राजनैतिक सचिव (अजय गौड़)/सलाहकार, आर0एम0सी0 (योगेन्द्र चौधरी)/ध्रुव मजूमदार (आई0टी0कंन्सलटैट) उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 क्रमांकः– 46/1/2020–5पोल दिनांक चण्डीगढ़ 13 जनवरी, 2022

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा ।
4. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।
5. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।